

संख्या:-249/XXVII (1)/2011

प्रेषक,

राधा रतूडी,
सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून:: दिनांक: 07 :अप्रैल, 2011

विषय:-13वाँ वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011-12 में वर्ष 2010-11 की द्वितीय किशत हेतु धनराशि का संकमण।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 13वाँ वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम में प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों को चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में वर्ष 2010-11 की द्वितीय किशत के लिए कुल धनराशि ₹134250000.00 (रुतेरह करोड़ बयालीस लाख पचास हजार मात्र) को संलग्नानुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 2- संक्रमित की जा रही धनराशि वेतन एवं भत्तों आदि पर व्यय नहीं की जा सकेगी।
- 3- 13वाँ वित्त आयोग द्वारा संस्तुति की गई है कि संक्रमित धनराशि से निम्न कार्य कराये जा सकते हैं:-
 - (1) पथ प्रकाश (2) पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण (3) स्वच्छता (4) पेयजल (5) परिसम्पत्तियों का निर्माण (6) स्वजल धारा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित जलापूर्ति परिसम्पत्तियों को अपने हाथ में लेकर उनका अनुरक्षण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त परिसम्पत्तियों के निर्माण आदि कार्य किये जाने चाहिए।
- 4- जिला पंचायतों को संक्रमित की गई धनराशि कोषागार से आहरण करने हेतु बिल जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा तैयार किए जाएंगे जिसे जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा।

संज्ञित निदेश

निदेश
07/04/2011

श्री जेम्स / AAO
क. कार्य कोषागार पथ
क. विल के अन्तर्गत के अन्तर्गत
क. निदेशक की कोषागार

62
07/04/11

- 5- जिला पंचायत राज अधिकारी प्रत्येक स्थिति में एक सप्ताह के अन्दर सम्बंधित ग्राम पंचायत को धनराशि चैक/ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
- 6- अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत के सम्बंध में जिला पंचायत राज अधिकारी सम्बंधित जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर कराकर महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड को उपलब्ध करायेंगे। समय से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने पर भारत सरकार द्वारा अगली किश्त की धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी। यदि उपयोगिता प्रमाण-पत्र के विलम्ब के कारण कोई धनराशि लैप्स होती है तो उसके लिये जिला पंचायत राज अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 7- संक्रमित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।
- 8- संक्रमित धनराशि का उपयोग केवल उसी कार्य हेतु किया जायेगा जिस कार्य के लिए धनराशि आवंटित की गई है। इसमें किसी प्रकार का ब्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।
- 9- संक्रमित धनराशि के समुचित उपयोग के लिए विभागीय अधिकारी /मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।
- 10- संक्रमित की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3604-स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेत्तर-02-पंचायती राज संस्थायें- 198-ग्राम पंचायतें-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें- 0103-13वाँ वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीया,


(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

संख्या 249 / (XXVII (1) / 2011, तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल / कुमाँऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड-देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग, ब्लाक 11, पंचम तल सी0जी0ओ0 कोम्पलेक्स नई दिल्ली।
8. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
9. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
10. वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
11. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,



(आर.सी.अग्रवाल)

अपर सचिव, वित्त।

शासनादेश संख्या: २५९ /XXVII (1)/2011

दिनांक: 07 :अप्रैल,2011 का संलग्नक।

13वाँ वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु ग्राम पंचायतों (विकासखण्डवार) को द्वितीय किश्त हेतु देय संकमण।

(धनराशि हजार ₹ में)

क्र०सं०	जनपद	विकास खण्ड	संशोधित ग्राम पंचायतों की संख्या	वर्ष 2010-11 हेतु देय द्वितीय किश्त
1	2	3	4	5
1-	अल्मोड़ा	भैसियाछाना	50	466
		भिकियासैण	98	684
		चौखुटियाँ	99	817
		धौलादेवी	109	1681
		द्वाराहाट	118	1010
		हवलबाग	125	935
		लमगड़ा	97	1116
		सल्ट	138	1437
		स्याल्दे	93	1150
		ताकुला	89	619
		ताडीखेत	130	1565
		योग:-	1,146	11480
2-	बागेश्वर	बागेश्वर	181	1698
		गरुड़	101	796
		कपकोट	115	1571
		योग:-	397	4065
3-	चमोली	दशोली	65	966
		देवाल	44	760
		गैरसैण	95	1497
		घाट	52	702
		जोशीमठ	52	2097
		कर्णप्रयाग	94	1283
		नारायणबगड़	70	710
		पोखरी	76	855
		थराली	53	687
		योग:-	601	9557



13वाँ वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु.
ग्राम पंचायतों (विकासखण्डवार) को द्वितीय किश्त हेतु देय संकमण।

(धनराशि हजार ₹में)

क्र०सं०	जनपद	विकास खण्ड	संशोधित ग्राम पंचायतों की संख्या	वर्ष 2010-11 हेतु देय द्वितीय किश्त
4-	चम्पावत	बाराकोट	47	429
		चम्पावत	99	1724
		लोहाघाट	65	556
		पाटी	79	749
		योग:-	290	3458
5-	देहरादून	चकराता	97	1409
		डोईवाला	47	1888
		कालसी	97	1454
		रायपुर	55	1942
		सहसपुर	55	2416
		विकासनगर	52	1924
		योग:-	403	11033
6-	हरिद्वार	बहादुराबाद	64	5301
		भगवानपुर	53	2797
		खानपुर	21	873
		लक्सर	48	1694
		नारसन	58	2382
		रुड़की	58	2056
		योग:-	302	15103
		7-	नैनीताल	बेतालघाट
भीमताल	62			693
धारी	35			470
हल्द्वानी	69			2114
कोटाबाग	38			682
ओखलकांडा	76			1119
रामगढ़	56			738
रामनगर	53			1085
योग:-	460			7752
8-	पौड़ी	बीरोखाल	102	2103
		दुग्गड्डा	99	4139
		द्वारीखाल	99	2538
		एकेश्वर	83	1275
		कल्जीखाल	87	1634

13वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु
ग्राम पंचायतों (विकासखण्डवार) को द्वितीय किश्त हेतु देय संकमण।

(धनराशि हजार ₹में)

क्र०सं०	जनपद	विकास खण्ड	संशोधित ग्राम पंचायतों की संख्या	वर्ष 2010-11 हेतु देय द्वितीय किश्त
		खिर्सू	43	873
		कोट	68	1197
		लैसडाउन(ज०ख०)	74	1656
		नैनीडाण्डा	89	2081
		पाबौ	74	1689
		पौड़ी	64	1051
		पोखड़ा	57	850
		रिखणीखाल	81	1554
		थलीसैण	102	2842
		यमकेश्वर	86	2573
		योग:-	1208	28055
9-	पिथौरागढ़	बेरीनाग	88	1332
		धारचूला	56	1933
		डीडीहाट	67	546
		गंगोलीहाट	122	1597
		कनालीछीना	88	750
		मुनाकोट	74	794
		मुनस्यारी	93	2193
		पिथौरागढ़	81	761
		योग:-	669	9906
10-	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	156	2035
		जखोली	102	961
		ऊखीमठ	65	994
		योग	323	3990
11-	टिहरी	भिलंगना	178	3580


Ne

13वाँ वित्त. आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु ग्राम पंचायतों (विकासखण्डवार) को द्वितीय किश्त हेतु देय संकमण।

(धनराशि हजार ₹में)

क्र०सं०	जनपद	विकास खण्ड	संशोधित ग्राम पंचायतों की संख्या	वर्ष 2010-11 हेतु देय द्वितीय किश्त
		चम्बा	99	964
		देवप्रयाग	111	1163
		जाखणीधार	90	770
		जौनपुर	124	1567
		कीर्तिनगर	82	716
		नरेन्द्र नगर	111	860
		प्रतापनगर	98	837
		थौलधार	86	768
		योग	979	11225
12-	ऊधम सिंह नगर	बाजपुर	39	1186
		गदरपुर	43	968
		जसपुर	43	1102
		काशीपुर	28	836
		खटीमा	55	2909
		रूद्रपुर	45	1170
		सितारगंज	56	3043
		योग	309	11214
	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	77	1387
13-		चिन्ध्यालीसौण	74	837
		डुंडा	88	962
		मोरी	62	1136
		नौगांव	113	2604
		पुरोला	40	486
		योग:-	454	7412
		महायोग:-	7541	134250

(रुंतेरह करोड बयालीस लाख पचास हजार मात्र)


(राधा रतूडी)
सचिव, वित्त।